

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2016

का.आ 425(अ).—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 30 की उपधारा (2) के साथ पठित प्रथम अनुसूची की क्र.सं. 2 के कॉलम सं. 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गुणक द्वारा बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है, वह गुणक 2.00 (दो) होगा।

[फा. सं. 13011/04/2015-एलआरडी]

हुकुम सिंह मीना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2016

S.O. 425(E).—In exercise of the powers conferred by column no. 3 of serial no. 2 of the First Schedule read with sub-section (2) of section 30 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the Central Government, hereby, notifies that in case of rural areas, the factor by which the market value is to be multiplied shall be 2.00 (two).

[F. No. 13011/04/2015-LRD]

HUKUM SINGH MEENA, Jt. Secy.